

# न्यायालय नायब तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

मि.न.2 / 2020

पीठासीन अधिकारी

शिमला मीणा (आरटीएस)

दिनांक 24.8.2020

सरकार बनाम रामानन्द  
निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का रामसिंह पुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2077 में वाके ग्राम खरकड़ी तहसील कोटपूतली के ख0 न0 408/6.21 है0 किस्म चारागाह मेंसे 0.01 है0पर रामानन्द शर्मा पुत्र नारायण शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी खरकड़ी पत्थर डाल कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । गैर सायल जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये । गैर सायल अधिवक्ता की तरफ से जबाब व दस्तावेज पेश किया जो संलग्न पत्रावली किये गये । गैर सायल अधिवक्ता ने अपने जबाब में कथन किया है कि गैर सायल की पत्नि के नाम से अलाटमेंट प्लाट में पत्थर डाल रखें हैं उक्त भूमि गैर सायल की पत्नि को 7.11.2019 को आबादी भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत राज अधिनियम के अनुसार दिया था ग्राम पंचायत एक स्वतंत्र निकाय है जो आबादी भूमि में पट्टा दे सकती है। खसरा नंबर 408 का सीमाज्ञान नहीं कराया गया सीमाज्ञान कराया जाता है और पत्थर चारागाह भूमि में आते हैं तो उसी समय गैरसायल व गैरसायल की पत्नि उसी समय पत्थर उठा लेगी । यह नोटिस रंजिस वश दिया गया है जो दूषित कार्यवाही है अतः कार्यवाही को ड्राप की जावे। गैर सायल ने अपने जबाब के संबध में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे की छाया प्रति पेश की गई जो संलग्न पत्रावली की गई। गैर सायल के जबाब के संदर्भ में भू-अभिलेख निरीक्षक से पुनः जांच करवाई गई जिसमें उन्होंने बाद जांच रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया गया की वाके ग्राम खरकड़ी के खसरा नंबर 408 किस्म चारागाह पर अतिक्रमण के संदर्भ में जांच की गई तो गैरसायल रामानन्द पुत्र नारायण जाति ब्राह्मण का पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार 0.01 है0 भूमि पर अतिक्रमण है। हमने भू-अभिलेख निरीक्षक रिपोर्ट, पटवारी हल्का रिपोर्ट, गैर सायल के जबाब व पत्रावली में संलग्न दस्तावेज पर गौर किया तो विवेचन पर पाया की गैर सायल का उक्त आराजियात पर अतिक्रमण सिद्ध होता है , अतः अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है । अगर अतिक्रमी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः गैर सायल रामानन्द पुत्र नारायण जाति ब्राह्मण निवासी खरकड़ी को वाके ग्राम खरकड़ी तहसील कोटपूतली के ख0 न0 408/6.21 है0 किस्म चारागाह मे से 0.01 है0 पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उक्त आराजियात पर डाले गये पत्थरों को निलाम किया जाकर भौतिक रूप से बैदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। नाजायज रूप

Sh

से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 0.30रु. का पचास गुणा 15रु अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू- अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वारंते बेदखली एवं निलामी के आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 24.8.2020 को सरे इजलास सुनाया गया

*Sh*

अंश 200 *20-21* के रा. ल. 4  
न पृष्ठ संख्या *83* पर *155*  
रूपये कायम किये गये ।

*24/8/20*  
राजस्व लेखाकार  
कोटपुतबी